

निगम-5381/2018/रीवा/भूरा

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)



अधिन श्री विवेक लिंग  
द्वारा पेसा/04-9-18

सर्किट कोर्ट  
रीवा

1. शम्भू प्रसाद तिवारी तनय रामदास तिवारी,
  2. चन्द्रभान तिवारी तनय रामदास तिवारी,
  3. उमाशंकर तिवारी तनय रामदास तिवारी,
- सभी निवासी मोहल्ला अमहिया रीवा, तहसील हुजूर, जिला-रीवा  
(म0प्र0) —निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. श्रीमती सुमन शर्मा विधवा पत्नी जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र 60 वर्ष,
  2. संतोष कुमार तनय शिवदास उम्र 58 वर्ष,
  3. सुदामा प्रसाद शर्मा तनय शिवदास, उम्र 56 वर्ष,
  4. नारायण प्रसाद तनय शिवदास, उम्र 38 वर्ष,
- सभी निवासी वार्ड क्र. 12 मोहल्ला अमहिया रीवा, तहसील हुजूर,  
जिला-रीवा (म0प्र0) —गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता 1959.

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्  
अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा  
प्रकरण क्र. 747/अपील/14-15 आदेश  
दिनांक 08.08.2018 जिसके द्वारा  
तहसीलदार नजूल रीवा जिला-रीवा के  
प्रकरण क्र. 85/अ-6/2013-14 आदेश  
दिनांक 20.05.2014 के विरुद्ध गैर  
निगरानीकर्तागण द्वारा अपील


वे.ए.ए.

(45)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग 5381/2018/रीवा/भू-रा0

जिला-रीवा

शम्भू प्रसाद तिवारी वगैर: विरुद्ध सुमन शर्मा

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सुदामा प्रसाद तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 747/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य         </p>

18/12/18